राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः– प.24(1)साप्र / 2 / 2014 जयपुर, दिनांकः 5-8-014

समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर (उदयपुर के अतिरिक्त)

विषय :– स्वाधीनता दिवस समारोह – 2014

महोदय,

राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि स्वाधीनता दिवस समारोह – 2014 (15 अगस्त, 2014) सम्पूर्ण राज्य में यथोचित गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जावें। जिला मुख्यालयों पर अधोलिखित विविध कार्यक्रमों की अपेक्षा की जाती है :–

1. समस्त राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा।
2. स्वाधीनता दिवस समारोह– 2014 के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त, 2014 को संभागीय / जिला मुख्यालयों (उदयपुर के राज्य स्तरीय समारोह को छोड़कर) पर आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण के लिये प्रभारी मंत्री महोदय के मनोनयन की सूचना पृथक से भेजी जा रही है। इन स्थानों पर प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। **यदि इस अवसर पर प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित न हों तो ऐसी स्थिति में सम्भागीय मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त तथा जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।**
3. सम्भागीय स्तर व जिला स्तर पर राष्ट्रीय पर्व को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा, जिसमें अर्द्ध सैनिक बल, पुलिस, एन.सी.सी. होमगार्ड स्काउट्स की टुकडियां मार्चपास्ट करेंगी। यथा संभव विद्यालयों के छात्र–छात्राओं द्वारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन एवं सामूहिक नृत्य, देशभक्ति के गीत गाये जायें।
4. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के संदर्भ में विभिन्न सम्प्रदायों के कलाकारों को आमंत्रित किया जाये तथा इन भावनाओं को प्रेरित किये जाने वाले कार्यक्रम, संगीत समारोह, कवि सम्मेलन, मुशायरे, नाटक, अखाडे–दंगल, कबड्डी प्रतियोगिता आदि का यथा संभव आयोजन किया जाये।
5. जिलों के मुख्य समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदया का संदेश पढ़ा जायेगा। यह संदेश पृथक से भेजा जा रहा है।
6. शिक्षण संस्थाऐं अपने यहां समारोह की व्यवस्था करें तथा इस अवसर पर राष्ट्रगान का सामूहिक गान भी करें।
7. राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों को आमन्त्रित किया जाये एवं कार्यक्रम की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि जनता स्वयं उसमें आगे होकर भाग ले सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिला अधिकारी स्थानीय समितियाँ बनायें ताकि कार्यक्रम भलीभांति उत्साहपूर्वक मनाया जा सके और उसकी कियान्विति यथोचित रूप से की जा सके।
8. समस्त स्थानीय संस्थाओं और जन साधारण से अनुरोध किया जाये कि राष्ट्रीय ध्वज अपने–अपने भवनों, निवास स्थानों पर फहरावें।
9. स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं जिले के स्वतंत्रता सैनानियों, जिलों में निवास कर रहे शहीदों के परिवार के सदस्यों को जिला मुख्यालय, उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय पर आयोजित समारोह में आमंत्रित किया जावे तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठने की व्यवस्था की जावे।
10. अखिल भारतीय सेवाओं (ALL INDIA SERVICES) के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को आमंत्रित किया जावें तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठने की व्यवस्था की जावें। यह व्यवस्था ऐसी हो कि जिससे आमंत्रितगण यह महसूस हो कि उन्हें उचित सम्मान दिया गया है। साहित्य कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जावें।

11. भारत रत्न, राजस्थान रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री उपाधि एवं अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं तथा राज्यस्तर/जिलास्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को भी आमन्त्रित किया जावें।

12. उपखण्ड स्तर के समारोह में सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय झण्डा फहराने का कार्य किया जायेगा तथा राष्ट्रगान होगा।

13. महाविद्यालयों, विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं [illegible] पर्यावरण, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, सामुदायिक ग्राम विकास के समसामयिक बिन्दुओं के अनुकूल कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि के कार्यक्रम आयोजित किये जायें एवं जन सामान्य को इन कार्यों के लिए प्रेरित किया जाये।

14. पंचायत मुख्यालयों/बड़े–बड़े गांवों में समारोह में सरपंच/गांव के मुखिया द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जायेगी। जिन स्थानों पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं उन पंचायत मुख्यालयों एवं बड़े–बड़े गांवों में समारोह में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि में से जो भी उच्च स्तर का सरकारी विद्यालय होगा उसके प्रधानाध्यापक द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जायेगी।

15. उदयपुर में महाराणा भूपाल स्टेडियम पर दिनांक 15 अगस्त, 2014 को राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह प्रातः 9:05 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदया की उपस्थिति में आयोजित होगा।

भवदीय

(सजीव कुमार [illegible])
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
5. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
7. महानिदेशक पुलिस, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, जेल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
9. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
10. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
12. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. आयुक्त/शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वाधीनता दिवस समारोह–2014 के कार्यक्रम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित करने हेतु अपने स्तर पर निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(संजय [illegible])
संयुक्त शासन सचिव